# न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

## पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या 015/2022(रसद) (GCMS 2022/311) | दायर दिनांक 02.09.2022 | निर्णय दिनांक 20.09.2022 |
|---|---|---|

**अनवान**

राजस्थान सरकार जरिये इरफान कुरैशी प्रवर्तन अधिकारी, रावतभाटा, बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

**प्रार्थी**

**बनाम**

1. दूदालाल पिता औंकारलाल जाट आयु 32 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम बनका खेडा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा (मोबाईल 979919476)
2. गोपाल लाल पिता मांगीलाल जाट आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी सुहाणा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रोपराईटर मैसर्स भीलवाडा गैस सर्विस, आई.ओ.सी.एल. (इण्डेन) गैस वितरक, भीलवाड।

**विपक्षीगण**

| उपस्थिति :– | | |
|---|---|---|
| | प्रवर्तन अधिकारी (हितेश जोशी) | पैरोकार सरकार |
| | बद्री गिरी गोस्वामी | विपक्षी संख्या 1, 2 |
| | राजेन्द्र सिंह चूण्डावत | विपक्षी संख्या 3 |

**<u>प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6 A आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत सीज्ड महिन्द्रा पिकअप RJ06 GB 2416 एवं 64(चौसठ) आई.ओ.सी.एल. गैस कम्पनी के खाली घरेलू गैस के एल.पी.जी. सिलेण्डर्स को राजसात करने बाबत।</u>**

## –:: निर्णय ::–

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि प्रवर्तन अधिकारी इरफान कुरैशी प्रवर्तन अधिकारी, रावतभाटा, बेंगूँ जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तशुदा सामग्री के निस्तारण बाबत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 21.08.2022 को समय **2.30 PM** पर थाना पारसोली बेंगूँ में घरेलू गैस सिलेण्डर्स **14.2 Kg.** गैस क्षमता के भीलवाडा से लाकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर, बेंगूँ में खाली करने के कारण परिवहन के वाहन महिन्द्र पिकअप **RJ06 GB 2416** मय गैस सिलेण्डर्स के थाना परिसर पारसोली में खडे होने से जांच हेतु थाना पारसोली पहुँचे। मौके पर सीताराम कान्स्टेबल बेल्ट संख्या 1655 थाना पारसोली मौजूद मिले जिन्होंने पूछने पर बताया कि कल दिनांक 20.08.2022 को सांय 6–7 बजे के लगभग लादूलाल पिता मोहनलाल बैरवा आयु 24 वर्ष जाति बैरवा निवासी ग्राम सारण पंचायत मोतीपुरा बेंगूँ उक्त वाहन संख्या

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

**RJ 06GB 2416** महिन्द्रा पिकअप सफेद रंग की जिसमें 64 खाली सिलेण्डर्स घरेलू उपयोग के **14.2 Kg.** क्षमता के सभी **IOCL** (इण्डेन) के सिलेण्डर्स भरे हैं, यह कहते हुए लाकर खडी की कि यह पिकअप सोमानी रिसोर्ट बिछोर में **LPG** के भरे हुए सिलेण्डर्स बेचने हेतु अवैध रूप से भीलवाडा से लाकर सप्लाई करने का कार्य करते है एवं ड्राईवर मौके से भरे सिलेण्डर्स उतारकर खाली सिलेण्डर्स पिकअप में रखकर भाग गया है। इस पर उक्त वाहन को मय 64 खाली सिलेण्डर्स के साथ थाना परिसर में खडा कराया जाना अवगत कराया। मौके पर थाना पारसोली परिसर में पहुॅचने पर उक्त वाहन का अवलोकन करने पर उसमें कुल 64 **IOCL** (इण्डेन) के घरेलू उपयोग के खाली सिलेण्डर्स रखे पाये गये। मौके पर एक व्यक्ति जिसने अपना नाम दूदालाल जाट पुत्र औंकार लाल जाट आयु 25 वर्ष जाति जाट निवासी बनका खेडा तहसील कोटड़ी जिला भीलवाडा मोबाईल नंबर 9799519476 मौजूद मिले एवं स्वयं को उक्त वाहन संख्या **RJ 06 GB 2416** का मालिक बताते हुए उसके रजिस्ट्रेशन संख्या की फोटो प्रति उपलब्ध कराई जो संलग्न फर्द की गई एवं दिनांक 20.08.2022 को उक्त पिकअप के कार्य बाबत् बताया। दूदालाल द्वारा बताया कि दिनांक 20.08.2022 करे उनके ड्राइवर गोपाल लाल पिता मांगीलाल जाट आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम सुहाणा तहसील भीलवाडा द्वारा भीलवाडा गैस सर्विस भीलवाडा के गोदाम रूपाहेली चौराहे से 64 घरेलू **LPG** भरे सिलेण्डर्स भरकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर में 1070/– अक्षरे एक हजार सत्तर रूपये प्रति सिलेण्डर्स की दर से 64 खाली सिलेण्डर्स लेकर दे दिये थे। दूदालाल ने बताया कि खाली सिलेण्डर्स उक्त वाहन में भरकर रवाना होने के समय लादूलाल ने उक्त सिलेण्डर्स बाबत पूछताछ की तब गोपालाल जाट ड्राईवर मौके से भाग गया। मौके पर दूदालाल एवं लादूलाल द्वारा बयान भी दिये जो संलग्न फर्द किये गये। दूदालाल द्वारा पूछने पर बताया कि इस वक्त गोपाललाल जाट ड्राईवर कहॉ है उन्हे नहीं मालूम है। दूदालाल ने बताया कि उनके ड्राईवर के पास उक्त भीलवाडा गैस सर्विस से सोमानी रिसोर्ट में गैस सिलेण्डर्स की सप्लाई के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे एवं उक्त गैस एजेन्सी के गोदाम से सोमानी रिसोर्ट की दूरी लगभग 45–48 किमी की है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त पिकअप **RJ06GB2416** महिन्द्रा पिकअप सही, चालू हालत में थानाधिकारी को एवं 64 घरेलू गैस सिलेण्डर्स सभी **IOCL** (इण्डेन) को भैरूलाल पिता मोहनलाल आयु 25 वर्ष ग्राम सारण तहसील बेंगॅू लाईसेंस धारक बैरवा इण्डेन ग्रामीण वितरक पारसोली (**IOCL** डीलर) की सुपुर्दगी में सुरक्षा की दृष्टि से साक्ष्य के रूप में संलग्न सुपुर्दगी नामों के आधार पर मौके पर सुपुर्दगी में दिया गया। सिलेण्डर्स की तौलपट्टी तैयार कर संलग्न की गई। यह कार्यवाही थाना परिसर पारसोली में की गई एवं सोमानी रिसोर्ट यहॉ से दूर (लगभग 4–5 किमी) होने से वहां पूछताछ की फर्द अलग से तैयार की जाकर संलग्न की गई। थाना पारसोली की रोजनामचा विवरण सत्यप्रति प्राप्त कर संलग्न फर्द की गई। मौके पर गवाहान को लेकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर पर पहुॅचने पर प्रोपराईटर अनिल सोमानी मौजूद मिले जिन्होने मौका मुआयना कराया। मौके पर किचन में एक व्यवसायिक सिलेण्डर लगा पाया गया। दिनांक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20.08.2022 को उतारे गये 64 घरेलू भरे सिलेण्डर्स बाबत् पूछने पर अनिल सोमानी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 20.08.2022 करे भीलवाडा गैस सर्विस के माध्यम से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर्स नहीं लिये गये है एवं इन्होंने यह भी बताया कि इनके किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई घरेलू गैस क भरे सिलेण्डर्स अवैध रूप से प्राप्त नहीं किये गये है। सी. सी.टी.वी. बाबत् पूछने पर इन्होंने बताया कि गत 4–5 माह से इनके कैमरे बंद है। इन्होंने किचन में गैस **(LPG)** के अतिरिक्त डीजल चालित 02 भट्टियां भी उपयोग में लिया जाना अवगत कराया है। मौके पर यह 02 भट्टियां डीजल चालित कार्यशील अवस्था में पाई गई है। इस प्रकार प्रकरण में उक्त प्रतिवादीगण दूदालाल जाट पुत्र औंकारलाल जाट, गोपाललाल पुत्र मांगीलाल जाट प्रोपराईटर मैसर्स भीलवाडा गैस सर्विस आई.ओ.सी.एल. (इण्डेन) गैस वितरक भीलवाडा द्वारा 64 (चौसठ) घरेलू एल.पी.जी. के सिलेण्डर्स एवं उक्त वाहन संख्या **RJ 06 GB 2416** का अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर्स के खरीद एवं बेचान हेतु अवैध सग्रहण एवं परिवहन कर दुरूपयोग किये जाने से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदया का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड **3(1)(A)(B)(C), 3.4.4(2),6** का स्पष्ट अल्लंघन किया है। अन्त में प्रार्थना की गई कि उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ 06 GB 2416** एवं आई.ओ.सी.एल. कम्पनी के 64 (चौसठ) खाली घरेलू एल.पी.जी. सील्ड सिलेण्डर्स को राजसात करने के आदेश फरमावें तथा धारा 6 ए(2) के तहत अंतरिम निस्तारण के आदेश भी प्रदान फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। दिनांक 07.09.2022 को विपक्षी की और से उनके अधिवक्ता ब्रदीगिरी हाजिर आये अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। दिनांक 07.09.2022 को अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 की और से जवाब आवेदन पेश किया गया जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। विपक्षी संख्या 3 की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत बाबत् जब्तशुदा 64 (चौसठ) घरेलू गैस सिलेण्डर्स बाबत् जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पर सुपुर्दगी हेतु आवेदन पेश किया गया जिसके प्रकरण संख्या 192/2022 है। विपक्षी संख्या 3 ने अपने जवाब आवेदन में निवेदन किया कि भीलवाडा गैस इण्डियन ऑयल गेस कॉपोरेशन की इण्डेन गैस की डिस्ट्रीब्यूटर है। इण्डेन गैस की सप्लाई भीलवाडा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में करते रहे है। कुछ गांव चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास के गांव है। 20 अगस्त शनिवार को हमारी कम्पनी की किरायेशुदा पिकअप गैस सप्लाई बडलिया बरून्दनी आदि के गांवों में सप्लाई करने के बाद 64 खाली सिलेण्डर लेकर ड्राईवर व डिलेवरी मैन चित्तौड़गढ़–कोटा हाइवे स्थित सौमानी स्वीट्स मिठाई लेने के लिये रूक वहां पर पारसोली में स्थित इण्डेन गैस एजेन्सी के कर्मचारी आ गये जिन्होने डिलवेरी मैन व टेम्पों के चालक गोपाल लाल जाट के साथ लडाई झगडा कर मारपीट की एवं टेम्पों को मय खाली टंकी थाने में लेकर चले गये। उक्त वाहन को थाने में ले जाने के पश्चात् प्रार्थी थाने पर गये तो उक्त वाहन को मय खाली सिलेण्डरों के नहीं छोडा एवं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कहा की डीएसओं साहब आयेगें तब जाकर आपके वाहन को हम छोडेंगे। दूसरे दिन दिनांक 21.08.2022 को दोपहर में रसद विभाग से इन्सपेक्टर इरफान कुरैशी आये हमारे द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज देने के पश्चात् भी बिना किसी कारण के उक्त वाहन व सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त कर लिया। अंत में प्रार्थना की गई कि प्रार्थी भीलवाडा गैस सर्विस प्रोपराईटर का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जाकर जप्तशुदा 64 खाली सिलेण्डर सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। दिनांक 20.09.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये। प्रकरण में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 एवं हस्तगत मूल प्रकरण के तथ्य एक ही होने से दोनों प्ररकण को क्लब किया जाकर सुनवाई गई। दिनांक 20.09.2022 को उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर आये। विपक्षी संख्या 1, 2 की और से किसी भी प्रकार से कोई लिखित अभिवचन प्रस्तुत नहीं किये जाने बाबत् अधिवक्ता विपक्षी द्वारा निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली को उभयपक्ष सुना गया।

इस पर हाजिर पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक अथवा अन्य कोई उपयोग नहीं किया जा सकता है। दिनांक 21.08.2022 को समय **2.30 PM** पर थाना पारसोली बेंगूॅं में घरेलू गैस सिलेण्डर्स **14.2 Kg.** गैस क्षमता के भीलवाडा से लाकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर, बेंगूॅं में खाली करने के कारण परिवहन के वाहन महिन्द्र पिकअप **RJ06 GB 2416** मय गैस सिलेण्डर्स के थाना परिसर पारसोली में खडे होने से जांच हेतु थाना पारसोली पहुँचे। दिनांक 20.08.2022 को सांय 6–7 बजे के लगभग वाहन संख्या **RJ 06GB 2416** महिन्द्रा पिकअप सफेद रंग की जिसमें 64 खाली सिलेण्डर्स घरेलू उपयोग के **14.2 Kg.** क्षमता के सभी **IOCL** (इण्डेन) के सिलेण्डर्स भरे है, यह कहते हुए लाकर खडी की कि यह पिकअप सोमानी रिसोर्ट बिछोर में **LPG** के भरे हुए सिलेण्डर्स बेचने हेतु अवैध रूप से भीलवाडा से लाकर सप्लाई करने का कार्य करते है। दूदालाल द्वारा बताया कि दिनांक 20.08.2022 करे उनके ड्राइवर गोपाल लाल पिता मांगीलाल जाट आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम सुहाणा तहसील भीलवाडा द्वारा भीलवाडा गैस सर्विस भीलवाडा के गोदाम रूपाहेली चौराहे से 64 घरेलू **LPG** भरे सिलेण्डर्स भरकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर में 1070/– अक्षरे एक हजार सत्तर रूपये प्रति सिलेण्डर्स की दर से 64 खाली सिलेण्डर्स लेकर दे दिये थे। मौके पर दूदालाल एवं लादूलाल द्वारा बयान भी दिये जो संलग्न फर्द किये गये। दूदालाल ने बताया कि उनके ड्राईवर के पास उक्त भीलवाडा गैस सर्विस से सोमानी रिसोर्ट में गैस सिलेण्डर्स की सप्लाई के कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। पिकअप **RJ06GB2416** महिन्द्रा पिकअप सही, चालू हालत में थानाधिकारी को एवं 64 घरेलू गैस सिलेण्डर्स सभी **IOCL** (इण्डेन) को भैरूलाल पिता मोहनलाल आयु 25 वर्ष ग्राम सारण तहसील बेंगूॅं लाईसेंस धारक बैरवा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इण्डेन ग्रामीण वितरक पारसोली (**IOCL** डीलर) की सुपुर्दगी में सुरक्षा की दृष्टि से साक्ष्य के रूप में संलग्न सुपुर्दगी नामों के आधार पर मौके पर सुपुर्दगी में दिया गया। सिलेण्डर्स की तौलपट्टी तैयार कर संलग्न की गई। थाना पारसोली की रोजनामचा विवरण सत्यप्रति प्राप्त कर संलग्न फर्द की गई। मौके पर गवाहान को लेकर सोमानी रिसोर्ट बिछोर पर पहुॅचने पर प्रोपराईटर अनिल सोमानी मौजूद मिले जिन्होने मौका मुआयना कराया। मौके पर किचन में एक व्यवसायिक सिलेण्डर लगा पाया गया। दिनांक 20.08.2022 को उतारे गये 64 घरेलू भरे सिलेण्डर्स बाबत् पूछने पर अनिल सोमानी ने बताया कि उनके द्वारा दिनांक 20.08.2022 करे भीलवाडा गैस सर्विस के माध्यम से कोई घरेलू गैस सिलेण्डर्स नहीं लिये गये है एवं इन्होंने यह भी बताया कि इनके किसी प्रतिनिधि द्वारा कोई घरेलू गैस क भरे सिलेण्डर्स अवैध रूप से प्राप्त नहीं किये गये है। इन्होंने किचन में गैस **(LPG)** के अतिरिक्त डीजल चालित 02 भट्टियां भी उपयोग में लिया जाना अवगत कराया है। मौके पर यह 02 भट्टियां डीजल चालित कार्यशील अवस्था में पाई गई है।

इस पर अधिवक्ता विपक्षी ने जवाब आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि भीलवाडा गैस इण्डियन ऑयल गेस कॉपोरेशन की इण्डेन गैस की डिस्ट्रीब्यूटर है। इण्डेन गैस की सप्लाई भीलवाडा एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में करते रहे है। कुछ गांव चित्तौड़गढ़ जिले के आसपास के गांव है। 20 अगस्त शनिवार को हमारी कम्पनी की किरायेशुदा पिकअप गैस सप्लाई बडलिया बरून्दनी आदि के गांवों में सप्लाई करने के बाद 64 खाली सिलेण्डर लेकर ड्राईवर व डिलेवरी मैन चित्तौड़गढ़–कोटा हाइवे स्थित सौमानी स्वीट्स मिठाई लेने के लिये रूक वहां पर पारसोली में स्थित इण्डेन गैस एजेन्सी के कर्मचारी आ गये जिन्होने डिलवेरी मैन व टेम्पों के चालक गोपाल लाल जाट के साथ लडाई झगडा कर मारपीट की एवं टेम्पों को मय खाली टंकी थाने में लेकर चले गये। दिनांक 21.08.2022 को दोपहर में रसद विभाग से इन्सपेक्टर इरफान कुरैशी आये हमारे द्वारा सम्पूर्ण दस्तावेज देने के पश्चात् भी बिना किसी कारण के उक्त वाहन व सिलेण्डरों को आवश्यक वस्तु अधिनियम में जप्त कर लिया। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपने आवेदन अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थी भीलवाडा गैस सर्विस के नाम से इण्डेन कम्पनी के एलपीजी गैस सिलेण्डर को वितरण करने का व्यवसाय करता है। दिनांक 20.08.2022 को शाम को प्रार्थी के अधिकृत वाहन **RJ06GB2416** में शाम 6.00 बजे के लगभग गांव में भरी हुई गैस टंकी की सप्लाई करके खाली सिलेण्डर लेकर टेम्पों चालक गोपाल लाल जाट लेकर आ रहा था की सोमानी रिसोर्ट बिछोर के सामने रूका वहां पर पारसोली इण्डेन गैस सर्विस के कर्मचारी जबरन पिकअप की चाबी लेकर पिकअप को 64 खाली इण्डेन गैस के सिलेण्डर सहित लेकर चले गये। उक्त प्रकरण में प्रार्थी इण्डेन के 64 को पुलिस थाना पारसोली ने जप्त कर अपने तहवील में ले रखा है। प्रार्थी भीलवाडा गैस सर्विस प्रोपराईटर का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के विरूद्ध की जा रही

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आवश्यक वस्तु अधिनियम की कार्यवाही को ड्रॉप फरमाया जाकर जप्तशुदा 64 खाली सिलेण्डर सिपुर्द कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी ने अपने तर्क के संबंध में दस्तावेजात प्रस्तुत किये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड है। इस पर बहस के रिवटल में निवेदन किया कि भीलवाडा गैस सर्विस आई.ओ. सी.एल. (इण्डेन) गैस वितरक भीलवाडा द्वारा 64 (चौसठ) घरेलू एल.पी. जी. के सिलेण्डर्स एवं उक्त वाहन संख्या **RJ 06 GB 2416** का अवैध घरेलू गैस सिलेण्डर्स के खरीद एवं बेचान हेतु अवैध सग्रहण एवं परिवहन कर दुरूपयोग किये जाने से द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड **3(1)(A)(B)(C), 3.4.4(2),6** का स्पष्ट अल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा वाहन संख्या **RJ 06 GB 2416** एवं आई.ओ.सी. एल. कम्पनी के 64 (चौसठ) खाली घरेलू एल.पी.जी. सील्ड सिलेण्डर्स को राजसात **(Confiscate)** किये जाने योग्य है। इसी ईश्तदुआ के साथ पैरोकार सरकार ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। पैरोकार सरकार द्वारा की गई बहस पत्रावली एक तरफा का चिंतन–मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 से मौके पर से 64 खाली घरेलू गैस सिलेण्डर अनाधिकृत रूप से भण्डारण करना पाया गया तथा मौके पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं सामग्री के संबंध में वैध दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए गए। विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन परिशीलन किये जाने से यह तथ्य जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 3 जिला भीलवाडा के क्षेत्र में घरेलू गैस सिलेण्डर्स सप्लाई किये जाने बाबत् अधिकृत है किन्तु कार्यवाही जिला चित्तौड़गढ़ सीमा क्षेत्र में की गई है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 3 का चित्तौड़गढ़ जिले की सीमा में प्रवेश के संबंध में कोई ठोस कथन/दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया जाना जाहिर होता है, ऐसी स्थिति में विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों से अवैध गैस रिफलिंग कर व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया, जो एल.पी.जी (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर, 2000 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। सरकार घरेलू श्रेणी के गैस सिलेण्डर आम उपभोक्ताओं को खाना बनाने हेतु भारी अनुदान पर उपलब्ध कराती है, जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा सकता है। विपक्षीगण द्वारा गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करना प्रमाणित/सिद्ध पाया जाता है। इसके साथ ही प्रकरण में जब्त शुदा वाहन संख्या **RJ06GB2416** को न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 191/2022 अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 के तहत जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनाम पर वाहन स्वामी/अधिकृत स्वामी को सिपुर्द किये जाने के आदेश दिनांक 07.09.2022 से दिये जा चुके है, उक्त पत्रावली प्रकरण संख्या 191/2022 निर्णय दिनांक 07.09.2022 पत्रावली के साथ हम किता है। पत्रावली हम किता रहे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी प्रवर्तक निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं दिनांक 20.08.2022 को प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा विपक्षीगण जब्त शुदा 64 घरेलू गैस सिलेण्डर राजसात **(Confiscate)** करने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी उक्त गैस सिलेण्डरों के नियमानुसार निस्तारण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करावें। जब्तशुदा सामग्री के नियमानुसार निस्तारण कर, प्राप्त आय राजकोष में जमा करा, पालना से अवगत करावें। विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 जा0फौ0 प्रकरण संख्या 192/2022 अनवानी भीलवाडा गैस सर्विस जरिये प्रोपराईटर आलोक पिता ओमप्रकाश औझा को उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर खारीज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थना–पत्र में शामिल पत्रावली किया जावें। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **20.09.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

-S/D-
(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़